

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

Tel : 0141-2740081

Fax : 0141-2740457

E-Mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

BID

FOR

Supply of

PROM (Phosphate Rich Organic Manure) Organic Potash 14.5%, Manganese Sulphate, Zinc Sulphate Monohydrate 33%, Zinc Sulphate Heptahydrate 21%, Mixed Micronutrients (Raj Grade), Mycorrhiza, Organic Manure, Copper Sulphate, Ferrous Sulphate, Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Phosphate Solubilising Bacteria, Potassium Mobilizing biofertilizers (KMB), Zinc Solubilizing Biofertilizers (ZSB), Acetobacter, Carrier Based Consortia
(As per specification of FCO 1985) F.O.R to KVSS/GSS of Rajasthan

Estimated Category/Item wise cost Rs. 10.31 Crore.

Office of the Managing Director,
Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd
4, Bh awani Singh Road, Jaipur.

सहप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि., जयपुर

RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.

Tel : 0141-2740081
Fax : 0141-2740457
E-Mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

INDEX

S.No	Particulars	Page Number
1	NIT	1-3
2	Check List	4
3	Application Form	5-6
4	Instruction for Technical Bid	7-9
5	General Instruction for Bid	10-17
6	Declaration of the bidder (Annexure "A")	18
7	Declaration of debarment (Annexure "B")	19

6.1
महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि., जयपुर

**राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि०,
4-भवानी सिंह मार्ग, जयपुर**

फोन : 0141-2740081,
0141-2740231
फैक्स : 0141-2740122,
0141-2740457

E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

ई-बिड सूचना संख्या राजफैड/कृषि/2023-24/1915

राजफैड के माध्यम से निर्माता/विपणनकर्ता कम्पनियां जिन्हें कृषि विभाग, राजस्थान द्वारा राज्य में विक्रय/विपणन हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त है, से राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ/ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ को जैव उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व (As per specification of FCO) की एक वर्ष के लिए आपूर्ति हेतु ऑन लाईन ई-बिड आमंत्रित की जाती है, बिड डाउनलोडिंग व अपलोडिंग की अन्तिम तिथि 11.10.2023 है। विस्तृत विवरण वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in>, rajfed.in, sppp.rajasthan.gov.in पर देखें। संशोधन/शुद्धि पत्र यदि कोई हो, भी इसी वेबसाइट पर दिया जावेगा।

प्रबन्ध निदेशक

6-
महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि., जयपुर

RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.

Tel : 0141-2740081

Fax : 0141-2740457

E-Mail: rajfed_agri.input@yahoo.com

BID FOR PROM (Phosphate Rich Organic Manure) Organic Potash 14.5%, Manganese Sulphate, Zinc Sulphate Monohydrate 33%, Zinc Sulphate Heptahydrate 21%, Mixed Micronutrients (Raj Grade-I, II), Mycorrhiza, Organic Manure, Copper Sulphate, Ferrous Sulphate, Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Phosphate Solubilising Bacteria, Potassium Mobilizing biofertilizers (KMB), Zinc Solubilizing Biofertilizers (ZSB), Acetobacter, Carrier Based Consortia

On-line Bids are invited by Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd(RAJFED), Jaipur for supply of Manganese Sulphate, Zinc Sulphate Monohydrate 33%, Zinc Sulphate Heptahydrate 21%, Mixed Micronutrients (Raj Grade-I), Mixed Micronutrients (Raj Grade-II), Mycorrhiza, Organic Potash 14.5%, Prom (Phosphate Rich Organic Manure), Organic Manure, Copper Sulphate, Ferrous Sulphate, Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Phosphate Solubilising Bacteria, Potassium Mobilizing biofertilizers (KMB), Zinc Solubilizing Biofertilizers (ZSB), Acetobacter, Carrier Based Consortia **(As per specification of FCO 1985)** F.O.R to KVSS/GSS in Rajasthan from manufacturers or marketier of Manganese Sulphate, Zinc Sulphate Monohydrate 33%, Zinc Sulphate Heptahydrate 21%, Mixed Micronutrients (Raj Grade-I), Mixed Micronutrients (Raj Grade-II), Mycorrhiza, Organic Potash 14.5%, Prom (Phosphate Rich Organic Manure), Organic Manure, Copper Sulphate, Ferrous Sulphate, Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Phosphate Solubilising Bacteria, Potassium Mobilizing biofertilizers (KMB), Zinc Solubilizing Biofertilizers (ZSB), Acetobacter, Carrier Based Consortia having Manufacturing/Marketier license to sell in Rajasthan with Agriculture Department, Govt.of Rajasthan:

Item No.	Description Item	Estimated Qty	Estimated cost (Rs.in Crores) of EV/CV	Bid Security @2% (Rs.in lakh)	Bid Form Cost (with GST) In Rs	Processing Fee (In Rs)	Average Annual Turnover of last 3 years
1.	Manganese Sulphate	100 MT	0.35	0.70	5900	1000	60% of Estimated cost
2.	Zinc Sulphate Monohydrate 33%	500 MT	3.40	6.80			
3.	Zinc Sulphate Heptahydrate 21%	500 MT	2.34	4.68			
4.	Mixed Micronutrients (Raj Grade-I)	12000 Ltr	0.60	1.20			
5.	Mixed Micronutrients (Raj Grade-II)	35 MT	0.60	1.20			
6.	Mycorrhiza	15 MT	0.30	0.60			
7.	Organic Potash 14.5%	200 MT	0.27	0.54			
8.	Prom (Phosphate Rich Organic Manure)	200 MT	0.36	0.72			
9.	Organic Manure	100 MT	0.11	0.22			
10.	Copper Sulphate	10 MT	0.25	0.50			
11.	Ferrous Sulphate	20 MT	0.02	0.05			
12.	Rhizobium	25 MT	0.10	0.20			
		10000 Ltr	0.13	0.26			
13.	Azotobacter	25 MT	0.10	0.20			
		10000 Ltr	0.13	0.26			
14.	Azospirillum	25 MT	0.10	0.20			
		10000 Ltr	0.13	0.26			
15.	Phosphate Solubilising Bacteria	25 MT	0.10	0.20			
		10000 Ltr	0.13	0.26			
16.	Potassium Mobilizing biofertilizers (KMB)	25 MT	0.10	0.20			
		10000 Ltr	0.13	0.26			
17.	Zinc Solubilizing Biofertilizers (ZSB)	25 MT	0.10	0.20			
		10000 Ltr	0.13	0.26			
18.	Acetobacter	25 MT	0.10	0.20			
		10000 Ltr	0.13	0.26			
19.	Carrier Based Consortia	25 MT	0.10	0.20			
	Total		10.31	20.63			

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि., जयपुर

(Cover-A) (3)

Bid documents may be downloaded and uploaded on website: <http://eproc.rajasthan.gov.in>, sppp.rajasthan.gov.in.

1. E-Bid processing Fee, Bid Document Fee and Bid Security for Manganese Sulphate, Zinc Sulphate Monohydrate 33%, Zinc Sulphate Heptahydrate 21%, Mixed Micronutrients (Raj Grade-I), Mixed Micronutrients (Raj Grade-II), Mycorrhiza, Organic Potash 14.5%, Prom (Phosphate Rich Organic Manure), Organic Manure, Copper Sulphate, Ferrous Sulphate, Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Phosphate Solubilising Bacteria, Potassium Mobilizing biofertilizers (KMB), Zinc Solubilizing Biofertilizers (ZSB), Acetobacter, Carrier Based Consortia has to be deposited through RTGS in Account of Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd payable at Jaipur compulsorily. Scanned Copy of the RTGS Receipt has to be uploaded along with the Technical bid on www.eproc.rajasthan.gov.in and RTGS Receipt physically deposited at AI Section, RAJFED Headoffice, Jaipur upto 02.00 PM on 11-10-2023 before the Opening of Technical Bid without which offer will not be considered.

Account Name: **RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD. JAIPUR**

Name of Bank: **State Bank of India**

Branch: **Tilak Marg, Jaipur**

Account No. : **61193917408**

IFSC code: **SBIN0031510**

2. Bid Security for the category/item wise which the company/marketier is applying need to be deposited.
3. Above quantities are indicative & order may be placed for whole or part of the quantity as per requirement.
4. The technical bid shall be opened at 3.00 PM on 11-10-2023 in the presence of desirous bidder(s). The financial bids of the technical qualified firms shall be opened subsequently for which date and time shall be intimated separately.

✓
महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि., जयपुर

Managing Director

आवेदन पत्र के साथ तकनीकी बिड के मूल्यांकन हेतु निम्न आवश्यक प्रपत्रों की (चैक लिस्ट) सूची

क्र.सं	विवरण	ई-बिड कवर
1.	कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्परिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया आपूर्ति हेतु पंजीकरण का प्रमाण-पत्र एवं प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्परिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया उत्पादन/मार्केटिंग/विक्रय हेतु वैध प्राधिकारपत्र जो वर्तमान में प्रभावी हो।	कवर-ए
2.	वर्ष 2022-23 में बिडर कम्पनी/विपणनकर्ता द्वारा निर्मित/विपणन पर किये गये प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्परिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की स्वप्रमाणित मात्रा का (100 रु. स्टाम्प पेपर पर)।	कवर-ए
3.	अद्यतन जारी आयकर एवं जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा Clearance Certificate.	कवर-ए
4.	बिडर कम्पनी/विपणनकर्ता का पंजीकरण प्रमाण पत्र जो वर्तमान में प्रभावी हो।	कवर-ए
5.	कम्पनी/विपणनकर्ता द्वारा जारी ऑफर में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधी/अधिकारी का अथॉरिटी लेटर मय अधिकृत अधिकारी का नाम, पद, मय कार्यालय का पता एवं दूरभाष सहित।	कवर-ए
6.	कम्पनी/विपणनकर्ता को राज्य सरकार, उसके नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा फर्म के साथ कारोबार/व्यवहार को प्रतिबंधित, निलम्बित अथवा दंडित (Convicted) नहीं किया गया है, न ही ऐसा प्रकरण किसी प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो, के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।	कवर-ए
7.	बिड सिक्यूरिटी, टेण्डर फार्म कोस्ट एवं प्रोसेसिंग फीस के राजफैड बैंक खाते में जमा करा दिया गया है, की रसीद की स्केण्ड प्रतियाँ।	कवर-ए
8.	पिछले तीन वर्ष में कृषि विभाग द्वारा अनुज्ञा पत्र निलम्बन/रद्द/उत्पाद हटाने की कार्यवाही नहीं की गई है, का शपथ-पत्र।	कवर-ए
9.	वित्तीय बिड/बी.ओ.क्यू.	कवर-बी


 नहाप्रबन्धक (कृषि आदान)
 राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
 विक्रय संघ लि., जयपुर

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि०,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

आवेदन प्रपत्र

कार्य का नाम : वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि विभाग, राजस्थान में पंजीकृत निर्माता/विपणनकर्ता कम्पनियों से राजफैड के माध्यम से राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया (As per specification of FCO) एफ.ओ.आर. डेस्टिनेशन (समस्त कर सहित) की आपूर्ति हेतु ऑन लाईन ई-बिड :

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता
2. उत्पादन स्थल फैक्ट्री का पूर्ण पता
3. दूरभाष/मोबाइल नंबर
4. फैक्स नंबर
5. वेब साइट
6. ई-मेल आई.डी.
7. निविदा कार्य संपादन हेतु :

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम व पता

इस आशय के प्रमाणित प्रस्ताव सहित

8. दूरभाष नं.

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि., जयपुर

9. फर्म की प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया अद्यतन उत्पादन क्षमता का विवरण
10. फर्म द्वारा राजफैड को ऑफर की गयी प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की मात्रा
11. वित्तीय बिड में वर्णित क्षेत्रीय कार्यालय व जिलेवार KVSS/GSS F.O.R. Destination पर प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया आपूर्ति जिनमें समस्त कर समाहित है, के लिए फर्म द्वारा अंकित की गई प्रति मै.टन की दरों पर आपूर्ति करने के लिए फर्म बाध्य है ।
12. राजफैड द्वारा आदेश जारी होने की दिनांक से निर्धारित अवधि में (सामान्य निर्देश की शर्त संख्या 22 अनुसार) निर्देशित स्थान पर वांछित मात्रा में प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की आपूर्ति की जावेगी । इस अवधि में सम्प्रेषण समय भी सम्मिलित हैं ।
13. निविदा एवं संविदा में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार्य है ।
14. निविदा के साथ बोली की शर्त संख्या 8 अनुसार वांछित समस्त आवश्यक दस्तावेज <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड कर दिये गये है ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

नहाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी कृषि
विक्रय संघ लि., जबपुर

**राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि०,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर**

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

तकनीकी बिड हेतु निर्देश

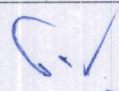
कार्य का नाम : वर्ष 2023-24 में कृषि विभाग, राजस्थान में पंजीकृत निर्माता/विपणनकर्ता कम्पनियों से प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइक्रोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेसियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया (As per specification of FCO) की राजस्थान की क.वि.स.स./ग्रा.से.स. में एफ.ओ.आर. डेस्टिनेशन (समस्त कर सहित) आपूर्ति हेतु।

नियोक्ता का नाम: प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि०, जयपुर

1. बोली का विस्तृत विवरण :

कार्य का विवरण : वर्ष 2023-24 में कृषि विभाग, राजस्थान में पंजीकृत निर्माता/विपणनकर्ता कम्पनियों से प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइक्रोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेसियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की राजस्थान की क.वि.स.स./ग्रा.से.स. में एफ.ओ.आर. डेस्टिनेशन (समस्त कर सहित) आपूर्ति हेतु।

क्र.सं.	मद	विवरण
1	कार्य की अनुमानित लागत	10.31 करोड़ रु.
2	बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security @2% of/CV)	पृष्ठ संख्या 2 पर अंकित NIT में प्रकाशित विवरण अनुसार
3	अनुमानित मात्रा	पृष्ठ संख्या 2 पर अंकित NIT में प्रकाशित विवरण अनुसार
4	बोली दस्तावेज शुल्क	5,900 रु.(GST Incl.)
5	प्रोसेसिंग फीस	1,000 रु.
6	आपूर्ति अवधि	1 वर्ष
7	बोली दस्तावेज डाउनलोडिंग तिथि	दिनांक 22.09.2023 को सायं 5:00 बजे से
8	बोली दस्तावेज अपलोडिंग की अन्तिम तिथि	दिनांक 11.10.2023 को अपरान्ह 12:30 बजे तक
9	तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 11.10.2023 को अपरान्ह 3:00 बजे
10	तकनीकी बिड खोलने का स्थान	राजफैड मुख्यालय, 4, भवानीसिंह रोड, जयपुर
11	कार्यादेश जारी करने का संभावित माह वित्तीय बिड स्वीकृति की तिथि से	तकनीकी रूप से आर्हता प्राप्त बिडर्स को पृथक से सूचित किया जावेगा
12	बोली की वैधता	तकनीकी बिड खोलने के 180 दिवस तक


महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि., जयपुर

2. आवेदन पत्र की प्रस्तुति :

- यह ऑनलाइन ई-बोली प्रक्रिया दो लिफाफा पद्धति पर आधारित होगी, प्रथम लिफाफे अंतर्गत तकनीकी बिड प्रपत्र एवं बोली हेतु क्रम संख्या 3 (शुल्क विवरण) के अनुसार वांछित भुगतान प्रमाण की स्कैण्ड प्रतियाँ एवं सामान्य निर्देशों के क्रम संख्या 8 पर अंकित दस्तावेजों की स्कैण्ड कॉपियां तथा वित्तीय बिड द्वितीय लिफाफे अंतर्गत Online BOQ अपलोड किये जावेंगे।
- बिड हेतु वांछित समस्त आवश्यक सूचनाएँ एवं वे समस्त दस्तावेज बोली लगाने वाली फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जावें, जो बोली की योग्यता के निर्धारण हेतु आवश्यक हों, के अभाव में असफल घोषित कर दिया जावेगा।
- बोली लगाने वाले द्वारा सही एवं सत्य सूचनाएँ उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बोली निरस्त कर दी जावेगी।
- तकनीकी बिड मूल्यांकन में सफल रहे बोली लगाने वाले की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

3. शुल्क विवरण :

- बोली दस्तावेज शुल्क राशि ₹0 5,900/- (GST Applicable Incl.) एवं प्रोसेसिंग फीस 1000 रु. का भुगतान राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि० के वर्णित खाते में आरटीजीएस द्वारा किया जावेगा।
- प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की अनुमानित मात्रा अनुसार अनुमानित लागत राशि की बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत राशि (पृष्ठ संख्या 2 पर अंकित NIT में प्रकाशित विवरण अनुसार) दी जावेगी। जिसका भुगतान बोलीदाता द्वारा राजफंड के निम्नानुसार बैंक खाते में आरटीजीएस किया जायेगा :-

- Account Name: **RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD. JAIPUR**
- Name of Bank: **State Bank of India**
- Branch: **Tilak Marg, Jaipur**
- Account No. : **61193917408**
- IFSC code: **SBIN0031510**

- प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की अनुमानित मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है, जो ई-बोली लगाने वालों को स्वीकार्य होगी। यदि एक से अधिक बोलीदाता की दर प्रथम न्यूनतम रहती है तो कुल मात्रा को अनुपातिक आधार पर प्रथम न्यूनतम बोलीदाताओं में बाँटा जावेगा एवं बिड सिक्यूरिटी राशि भी अनुपातिक आधार पर रखते हुये शेष राशि वापस लौटा दी जावेगी। सफल बिडदाता को कार्य निष्पादन प्रतिभूति दिए गए सप्लाई आदेश की 5 प्रतिशत होगी, जिसमें बोली प्रतिभूति का समायोजन किया जाएगा।

4. योग्यता निर्धारण :

- प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया आपूर्तिकर्ता कम्पनी का उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार से आपूर्ति पर अनुदान प्राप्त करने हेतु पंजीकरण आवश्यक है।

61/

नहाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी कृषि
विक्रय संघ लि., जयपुर

- कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया आपूर्ति हेतु पंजीकरण का प्रमाण-पत्र एवं प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया उत्पादन/मार्केटिंग हेतु वैध प्राधिकारपत्र आवश्यक है।
- विपणनकर्ता द्वारा ई-निविदा में भाग लिये जाने हेतु निर्माता कम्पनी के पंजीकरण प्रमाण पत्र में विपणनकर्ता का एवं विपणनकर्ता के पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्माता कम्पनी का नाम अंकित होना आवश्यक है।
- प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया उर्वरक निर्माता/विपणनकर्ता को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अन्तर्गत उर्वरक के प्रत्येक बैग पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) अंकित होगी तथा फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट 1985 के अनुसार सक्रिय तत्व स्पष्ट रूप से पैकिंग पर अंकित होने चाहिये।
- निविदादाता को पूर्व में किये कार्य के लिए राजफैड सहित किसी भी लोक प्राधिकारी के द्वारा दंडित/डिबार ना किया हो और इसके अतिरिक्त यदि उसके विरुद्ध निविदा संबंधी किसी भी अनियमितता, जॉच या न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है या वह दोषसिद्ध हो चुका तो ऐसा निविदादाता आरम्भत अयोग्य माना जावेगा और बिड में भाग नहीं ले सकेगा। यदि यह तथ्य बिड प्रक्रिया दौरान किसी भी समय किसी भी प्राधिकारी के संज्ञान में आता है तो उसी स्तर पर संबंधित की बिड निरस्त मानी जावेगी। एवं ऐसी निविदादाता के विरुद्ध आरटीपीपी एक्ट के नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
- सहउद्यम की दशा में वे राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में वर्णित संबंधित प्रावधानों की पालना होने पर ही लागू होंगे।
- आपूर्ति किये जाने वाले प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की गुणवत्ता फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट 1985 के अनुसार होगी।
- बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का राजफैड का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- राजफैड परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण या अन्यथा कारण से उपापन की कोई विषय वस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिणाम से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावे या प्रतिकार का हकदार नहीं होगा।
- बोली लगाने वाले की स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बोलियों में वर्णित उन समस्त आपूर्ति स्थलों एवं आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण व विश्लेषण स्वयं जाकर करें तदुपरान्त ही बोली प्रक्रिया में भाग लेना सुनिश्चित करें।

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि., जयपुर

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि०,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं.

0141-2740081

फैक्स नं.

0141-2740457

E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

बोली हेतु सामान्य निर्देश एवं शर्तें

1. ई-बोली में भाग लेने की इच्छुक फर्म का अधिकृत वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर पंजीबद्ध होना आवश्यक है। सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार बोली लगाने वाली फर्म के लिए Digital Signature Certificate अनिवार्य है, जो अनुमोदित प्रमाणीकरण संस्था यथा TCS, safecrypt, Ncode etc. से प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी अथवा अन्य सहायता हेतु किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 06.00 बजे के मध्य e-Procurement Cell, RISL में उनके योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर स्थित कार्यालय में अथवा toll free Phone No.1800-3070-2232(any time) पर सम्पर्क कर सकते हैं।
2. बोली लगाने वाले निर्माता/विपणनकर्ता फर्म को ऑनलाइन बोली के प्रशिक्षणार्थ e-Procurement Cell, RISL में उनके योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर स्थित कार्यालय में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है, इच्छुक बोली लगाने वाले वहाँ सम्पर्क कर सकते हैं।
3. सशर्त बोली मान्य नहीं होगी।
4. बोली लगाने वाले निर्माता/विपणनकर्ता द्वारा आरटीजीएस (बिन्दु संख्या 12 में वर्णित अनुसार) के अतिरिक्त बोली से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के दस्तावेज व्यक्तिशः राजफैड कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करें।
5. तकनीकी बिड में सफल रहे बोली लगाने वालों की ही वित्तीय बिड राजफैड कार्यालय में खोली जावेगी, जिसकी सूचना उन्हें पृथक से दी जाकर/विभागीय वेबसाइट सहित website:-<http://eproc.rajasthan.gov.in>, rajfed.in, sppp.rajasthan.gov.in पर भी प्रदर्शित की जावेगी।
6. प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेसियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की अनुमानित मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है, जो सभी ई-बोली लगाने वालों को स्वीकार्य होगी। यदि एक से अधिक बोलीदाता की दर प्रथम न्यूनतम रहती है तो कुल मात्रा को अनुपातिक आधार पर प्रथम न्यूनतम बोलीदाताओं में बाँटा जा सकेगा एवं तदनुसार ही बिड सिक्यूरिटी राशि भी अनुपातिक आधार पर ली जावेगी।
7. किसी भी बोली या समस्त बोलियों को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार राजफैड के प्रबन्ध निदेशक को होगा।
8. बोली के साथ निम्नांकित दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है, इनके अभाव में बोलियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा :-
(i) कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेसियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया आपूर्ति हेतु पंजीकरण का प्रमाण-पत्र एवं प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेसियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया उत्पादन/मार्केटिंग हेतु वैध प्राधिकारपत्र जो वर्तमान में प्रभावी हो।
(ii) विपणनकर्ता द्वारा ई-निविदा में भाग लिये जाने हेतु निर्माता कम्पनी के पंजीकरण प्रमाण पत्र में विपणनकर्ता का एवं विपणनकर्ता के पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्माता कम्पनी का नाम अंकित होना आवश्यक है।

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि., जयपुर

- (iii) बिडर निर्माता/विपणनकर्ता का प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया का अद्यतन उत्पादन क्षमता का राज्य सरकार द्वारा जारी वर्तमान में प्रभावी प्रमाणपत्र।
- (iv) वर्ष 2022-23 में निर्माता/विपणनकर्ता द्वारा अनुदान पर आपूर्ति किये गये प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की मात्रा का स्वघोषित प्रमाण पत्र।
- (v) अद्यतन जारी आयकर एवं जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा Clearance Certificate.
- (vi) बिडर निर्माता/विपणनकर्ता का पंजीकरण प्रमाण पत्र जो वर्तमान में प्रभावी हो।
- (vii) निर्माता/विपणनकर्ता द्वारा जारी ऑफर में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि/अधिकारी का अथॉरिटी लेटर मय अधिकृत अधिकारी का नाम, पद, मय कार्यालय का पता एवं दूरभाष सहित।
- (viii) फर्म को राज्य सरकार, उसके नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा फर्म के साथ कारोबार/व्यवहार को प्रतिबंधित, निलम्बित अथवा दण्डित नहीं किया गया है, न ही ऐसा प्रकरण किसी प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो, के सम्बन्ध में घोषणा पत्र (प्रपत्र संलग्न)।
- (ix) बिड सिक्यूरिटी, टेण्डर फार्म कोस्ट एवं प्रोसेसिंग फीस के राजफैड बैंक खाते में जमा कराने की रसीद की स्केण्ड प्रतियाँ।
- चारों प्रकार की प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की दरों का अंकन वित्तीय बिड में शब्दों एवं अंकों में अनिवार्यतः किया जावे, दोनों में अन्तर पाये जाने पर शब्दों में अंकित दर सही मानी जावेगी।
 - बोली प्रपत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में ही भरा जावे।
 - किसी भी लोक प्राधिकारी द्वारा डिबार्ड/दण्डित निर्माता/विपणनकर्ता बोली में भाग लेने के लिए आरम्भतः अयोग्य (Disqualified) होगी। इसके अतिरिक्त जिन प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया निर्माता/विपणनकर्ता द्वारा शर्तों की पालना नहीं करने के कारण राजफैड द्वारा पूर्व में डिफाल्टर घोषित किया जाकर उनकी बोली प्रतिभूति राशि जब्त की गई हो या अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की गयी हो अथवा विचाराधीन हो, ऐसी निर्माता/विपणनकर्ता भी इस बोली में भाग लेने हेतु आरम्भतः अयोग्य होंगी तथा ऐसी निर्माता/विपणनकर्ता से प्राप्त बोली पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।
 - बोली दस्तावेज शुल्क, प्रोसेसिंग फीस, प्रतिभूति राशि का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से करना होगा आरटीजीएस की स्केन कॉपी बोली के साथ अपलोड करनी होगी तथा इनके मूल रसीद दिनांक 11.10.2023 को अपराह्न 02:00 बजे तक राजफैड मुख्यालय में व्यक्तिशः जमा कराना सुनिश्चित करें, इनके अभाव में बिड स्वीकार्य नहीं होगी।
 - बोली लगाने वाली निर्माता/विपणनकर्ता के गठन के स्वरूप व प्रमोटर्स आदि बाबत पूर्व में किये गये परिवर्तन सहित कालान्तर में (अनुबन्ध अवधि) में किये जाने वाले किसी भी परिवर्तन की सूचना फर्म द्वारा राजफैड कार्यालय को 07 दिवस में आवश्यक रूप से देनी होगी तथा ऐसे परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से मूल फर्म को मुक्त नहीं किया जायेगा।

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि., जयपुर

14. बिडर निर्माता/विपणनकर्ता बोली लगाने वाला अपनी बोली अथवा उसके किसी भाग को ना तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और न ही सबलेट कर सकेगा।
15. अनुमोदित निर्माता/विपणनकर्ता द्वारा राजफैंड/समिति को वांछित मात्रा में एवं बताये गये स्थानों पर प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्परिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत सप्लाई किया जावेगा तथा डिस्पेच के पूर्व कृषि विभाग द्वारा आहरित सेम्पल टेस्ट पश्चात् गुणवत्ता के मापदण्डों के अनुरूप सही पाये जाने पर ही प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्परिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की आपूर्ति की जावेगी। आपूर्ति प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्परिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की गुणवत्ता की समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता निर्माता/विपणनकर्ता की होगी।
16. कृषि विभाग द्वारा समिति/फैक्ट्री एवं फील्ड से लिये गये प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्परिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया के नमूने को यदि अमानक घोषित कर दिया जाता है तो उसके लिये निर्माता/विपणनकर्ता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। इस संबंध में यदि किसी समिति/राजफैंड के खिलाफ न्यायालय में किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उस वाद में समिति/राजफैंड द्वारा किये गये समस्त व्यय का भुगतान संबंधित आपूर्तिकर्ता निर्माता/विपणनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा। आपूर्तिकर्ता निर्माता/विपणनकर्ता द्वारा राजफैंड को इस बाबत क्षतिपूर्ति बंध पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
17. प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्परिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया निर्माता को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अन्तर्गत उर्वरक के प्रत्येक बैग पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) तथा क्वालिटी सर्टीफाईड की सील अंकित करने के साथ-साथ तत्त्व आधारित अनुदान (एनबीएस) का स्पष्ट रूप से अंकन किया जाना आवश्यक है तथा अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
18. निविदा शर्तों के साथ आरटीपीपी एक्ट 2012, आरटीपीपी 2013 के नियम/प्रावधान भी यथायोग्य रूप में लागू होंगे।

संबंधित (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी ऋण
विक्रय संघ लि., जयपुर

19. निर्माता/विपणनकर्ता की केवीएसएस/जीएसएस को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की आपूर्ति के तीन माह में संबंधित केवीएसएस/जीएसएस द्वारा विक्रय कर विक्रय की तारीख से एक माह के अन्दर भुगतान राजफैड मुख्यालय को प्रेषित करना आवश्यक होगा। निर्माता/विपणनकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् समिति को की गयी वार्षिक आपूर्ति का निपटारा आगामी वित्तीय वर्ष के 30 जून तक कराया जावे अन्यथा भविष्य में भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
20. बोली में अंकित आपूर्ति दरें प्रति मै.टन एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन सभी करें सहित होनी चाहियें (कि.ग्रा. में दरें मै.टन की दर के अनुपातिक ही होनी चाहियें)। राजफैड द्वारा उक्त स्वीकृत आपूर्ति दर के अतिरिक्त फर्म को अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
21. बोली लगाने वाली निर्माता/विपणनकर्ता जिसकी बोली स्वीकार की गई है, उसे राजफैड का पत्र प्राप्त होने के 10 दिवस में निर्धारित प्रारूप में संविदा पत्र राजफैड के साथ निष्पादित करना होगा।
22. प्रत्येक निर्माता/विपणनकर्ता को राजफैड द्वारा आपूर्ति हेतु दिये गये आदेश की दिनांक से सात दिवस के अन्दर प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की आपूर्ति करनी होगी। यदि कम्पनी द्वारा प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया आपूर्ति के दिये गये आदेशों के विरुद्ध सात दिवस में आपूर्ति नहीं की जाती है तो निम्न स्लेब अनुसार निर्माता/विपणनकर्ता द्वारा प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की विलम्बित आपूर्ति के लिए बिल की राशि में से परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति राशि की कटौति की जावेगी :-

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. आदेश दिनांक से 7 दिवस तक | - |
| 2. आदेश दिनांक के 8 दिन से 10 दिन तक | 5 प्रतिशत |
| 3. आदेश दिनांक के 11 दिन से 12 दिन तक | 7.5 प्रतिशत |
| 4. आदेश दिनांक के 13 दिन से 15 दिन तक | 10 प्रतिशत |
5. यदि किसी निर्माता/विपणनकर्ता द्वारा राजफैड के प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर आपूर्ति, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया हेतु दिये गये आदेश के विरुद्ध 15 दिवस में प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्फिरिलम, फॉस्फेट

सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया खाद की आपूर्ति नहीं की जाती है तो राजफैड को यह अधिकार होगा कि वह उस माँग की आपूर्ति रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य किसी निर्माता/विपणनकर्ता से करवा सकता है जिसमें देय अन्तर की राशि आपूर्ति न देने संबंधित वाले निर्माता/विपणनकर्ता को वहन करनी होगी।

विशेष परिस्थिति यथा कोविड महामारी/उर्वरकों की अप्रत्याशित अधिक माँग/ट्रांसपोर्टर हड़ताल एवं अन्य विशेष परिस्थितियों में जो अनुमोदित निर्माता/विपणनकर्ता के नियंत्रण से परे हो, ऐसी कठिनाई की पूर्व सूचना व सक्षम स्तर पर इसकी पूर्व अनुमति से आपूर्ति अवधि व परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति में छूट देय होगी।

23. क्षेत्रीय कार्यालयों/समितियों द्वारा प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिक सल्फेट हेप्ताहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर आपूर्ति, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया हेतु माँग राजफैड मुख्यालय को कम से कम 10 दिवस पूर्व भिजवायी जावेगी। प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिक सल्फेट हेप्ताहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया आपूर्ति के आदेश राजफैड मुख्यालय, जयपुर द्वारा समितियों की माँग के अनुरूप संबंधित कम्पनियों को दिये जावेगें।
24. आपूर्तिकर्ता निर्माता/विपणनकर्ता को राजफैड द्वारा प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिक सल्फेट हेप्ताहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया आपूर्ति की राशि का भुगतान संबंधित सदस्य समितियों से प्राप्त होने के पश्चात् किया जावेगा। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार की सदस्य समितियों द्वारा विक्रीत प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिक सल्फेट हेप्ताहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की राशि का सम्पूर्ण भुगतान मुख्यालय को भिजवाया जावेगा एवं उक्त राशि में से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/सदस्य समिति द्वारा कार्यालय खर्च सहित अन्य किसी कारण हेतु कोई राशि नहीं रोकी जावेगी। खाद राशि के भुगतान हेतु आपूर्तिकर्ता निर्माता/विपणनकर्ता द्वारा बिलों के साथ निम्न सूचनायें/प्रपत्र भी संलग्न किये जाने होंगे:-
 1. दावा बिलों में समस्त छूटों का इन्द्राज किया जाना आवश्यक होगा।
 2. बिलों के साथ समितियों को माल के सही हालत में कार्यादेश की निर्धारित अवधि में प्राप्त होने संबंधी सूचना/पुष्टी पत्र को संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
 3. बिल के साथ राजफैड में आपूर्ति किये गये प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिक सल्फेट हेप्ताहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की बैचवाईज कृषि विभाग द्वारा आहरित सेम्पल टेस्ट गुणवत्ता रिपोर्ट संलग्न की जावेगी।
 4. राजफैड की अनुमोदित दर से कम दर पर राज्य में किसी भी एजेन्ट/डीलर को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिक सल्फेट हेप्ताहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग

C.V.
महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि., जयपुर

बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की आपूर्ति नहीं गयी है, इस आशय का प्रमाण पत्र फर्म द्वारा प्रत्येक दावा बिल पर देना होगा।

5. आपूर्ति किये जाने वाले समस्त आदानों की स्टॉक रजिस्टर की स्पष्ट एन्ट्री दावा बिल के साथ संलग्न की जावेगी।

25. अनुमोदित अनुबन्धकर्ता निर्माता/विपणनकर्ता द्वारा सहकारी/सरकारी क्षेत्र एवं सदस्य समितियों को राजफैड के माध्यम से ही प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की आपूर्ति की जावेगी। किसी निर्माता/विपणनकर्ता द्वारा सीधे सदस्य समितियों को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की आपूर्ति नहीं की जावेगी। यदि किसी निर्माता/विपणनकर्ता द्वारा ऐसा न करते हुये सदस्य समिति को राजफैड माध्यम के बिना सीधी आपूर्ति की जाती है तो उस आपूर्ति मात्रा का भुगतान राजफैड स्तर से नहीं किया जावेगा साथ ही उस निर्माता/विपणनकर्ता से किये गये अनुबन्ध को समाप्त करने सहित, पैन्ल्टी (शास्ति) सहित अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
26. आपूर्तिकर्ता निर्माता/विपणनकर्ता द्वारा राजफैड की अनुमोदित दरों से कम दरों पर खुले बाजार में अथवा एजेन्ट/डीलर को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया का विक्रय नहीं किया जावेगा तथा इस आशय का प्रमाण पत्र उनके द्वारा प्रत्येक बिल के साथ दिया जावेगा। यदि निर्माता/विपणनकर्ता द्वारा राजफैड द्वारा अनुमोदित दरों से कम दरों पर खुले बाजार में अथवा एजेन्ट/डीलर को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया का विक्रय करना पाया गया तो कम्पनी को उस घटी हुई दर के हिसाब से ही राजफैड द्वारा भुगतान किया जावेगा व अनुबन्ध भंग के लिये उचित कार्यवाही भी की जावेगी। यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अन्यथा रूप से दरें कम की जाती है तो घटी हुई दरों की सूचना निर्माता/विपणनकर्ता तुरन्त राजफैड को उपलब्ध करवायेगी। यदि निर्माता/विपणनकर्ता स्वतः ही इसकी सूचना नहीं देती है व ऐसा प्रकरण कालान्तर में राजफैड के ध्यान में लाया जाता है कि राजफैड से अनुबन्धित दर से कम दर पर प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया आपूर्ति की गई है तो उस निर्माता/विपणनकर्ता के माध्यम से किये जा रहे व्यवसाय को समाप्त करने सहित नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं जमा अमानत/सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि., जयपुर

27. निर्माता/विपणनकर्ता द्वारा राजफैड/समिति को वांछित मात्रा में एवं बताये गये स्थानों पर प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्ताहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्परिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत सप्लाई किया जावेगा तथा डिस्पेच के पूर्व राजफैड को आपूर्ति किये जाने वाले प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्ताहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्परिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया के कृषि विभाग द्वारा बैचवाईज सैम्पल नियमानुसार आहरित करवाये जाएंगे तथा जॉच के पश्चात् गुणवत्ता के मापदण्डों के अनुरूप सही पाये जाने पर ही प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्ताहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्परिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की आपूर्ति क्षेत्र में आपूर्तिकर्ता निर्माता/विपणनकर्ता द्वारा की जावेगी। सदस्य समिति स्तर व क्षेत्र में आपूर्तित प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्ताहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्परिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की गुणवत्ता की समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता निर्माता/विपणनकर्ता की होगी। कृषि विभाग की उक्त जॉच रिपोर्ट बिल के साथ संलग्न की जावेगी।
28. प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्ताहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्परिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया की आपूर्ति 50 किग्रा पैकिंग में नये एच.डी.पी.ई. बैग में की जावेगी। क्षतिग्रस्त एवं कटे फटे थैलों में जमा हुआ एवं ढेले वाला प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्ताहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्परिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया किसी भी स्थिति में सदस्य समितियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
29. बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) निम्न मामलों में जब्त करने का राजफैड को पूर्ण अधिकार होगा :-
- यदि बोली लगाने वाली फर्म की बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकृत करने से पूर्व बोली लगाने वाली फर्म प्रस्ताव वापस लेती है, या उसमें परिवर्तन प्रस्तावित करती है।
 - यदि बोली लगाने वाली फर्म/बोलीदाता निर्धारित समयावधि में संविदा पत्र निष्पादित करने में असफल रहती है।
 - बोली लगाने वाली फर्म द्वारा बोली के साथ गलत/असत्य तथ्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्थिति में।
 - निर्माता/विपणनकर्ता द्वारा सहकारी/सरकारी क्षेत्र एवं समितियों को राजफैड के माध्यम से अतिरिक्त सीधे ही आपूर्ति किये जाने की स्थिति में।

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि., जयपुर

(v) राजफैड की स्वीकृत दरों से कम दरों पर बाजार में अथवा एजेंट/डीलर को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्परिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया आपूर्ति किये जाने की स्थिति में।

(vi) यदि फर्म समय पर आपूर्ति प्रारम्भ नहीं करे, प्रतिभूति जमा नहीं करवाये तथा आपूर्ति नहीं करे तो धरोहर/प्रतिभूति राशि को जब्त किया जावेगा।

30. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पुर्नभुगतान वित्तीय वर्ष/संविदा अवधि की समाप्ति व कार्य के संतुष्टि पूर्ण होने व कोई वसूली न होने पर किया जावेगा तथा इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
31. प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स (राज ग्रेड-I,II), माइकोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्परिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया आपूर्ति करने में उत्पन्न बाधा यदि बोली लगाने वाली फर्म के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तथा सप्लाई अवधि समाप्ति से पूर्व राजफैड को इस बाबत सूचित कर दिया गया हो तो आपूर्ति की अवधि में परिनिर्धारित क्षति को क्षति-रहित करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार राजफैड के प्रबन्ध संचालक को होगा।
32. दोनों पक्षों की पारस्परिक सहमति से अनुबन्ध को इन्ही शर्तों व दरों पर विचार विमर्श कर बढ़ाया जा सकेगा।
33. प्रथम अपिलीय अधिकारी प्रबन्ध संचालक द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी/महाप्रबन्धक।
34. द्वितीय अपिलीय प्राधिकारी प्रबंध संचालक, राजफैड होंगे।
35. किसी भी प्रकार के मतभेद उत्पन्न होने पर प्रबन्ध संचालक, राजफैड का निर्णय अंतिम होगा जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा।
36. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल जयपुर होगा।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि., जयपुर

Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in procurement process shall –

- a. not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- b. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- c. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- d. not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- e. not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- f. not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- g. disclose conflict of interest, if any; and
- h. disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. Have controlling partners/shareholders in common; or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. The Bidder participates in more than one Bid in bidding process. Participation by a Bidder in more than one bid with result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. The bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि., जयपुर

DECLARATION BY THE BIDDER

In relation to my/our Bid submitted to Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd Jaipur (RAJFED) For supply of Manganese Sulphate, Zinc Sulphate Monohydrate 33%, Zinc Sulphate Heptrahydrate 21%, Mixed Micronutrients (Raj Grade-I), Mixed Micronutrients (Raj Grade-II), Mycorrhiza, Organic Potash 14.5%, Prom (Phosphate Rich Organic Manure), Organic Manure, Copper Sulphate, Ferrous Sulphate, Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Phosphate Solubilising Bacteria, Potassium Mobilizing biofertilizers (KMB), Zinc Solubilizing Biofertilizers (ZSB), Acetobacter, Carrier Based Consortia F.O.R. to KVSS/GSS in Rajasthan (As per specification of FCO 1985 Notified via S.O. 2475 (E) dated 16.08.2013) FOR to KVSS/GSS in Rajasthan in response to their Notice Inviting Bids No ----- dated I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay any such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons “.
4. I/We do not have, and our Directors and Officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our qualification to enter into a procurement contract within a period of three year preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Documents, which, materially affects fair competition;
6. I/We have visited the supply sites and fully acquainted myself/ourselves with the local situation regarding materials, labour and other factors pertaining to the work before submitting the tender of RAJFED regarding supply of Manganese Sulphate, Zinc Sulphate Monohydrate 33%, Zinc Sulphate Heptrahydrate 21%, Mixed Micronutrients (Raj Grade-I), Mixed Micronutrients (Raj Grade-II), Mycorrhiza, Organic Potash 14.5%, Prom (Phosphate Rich Organic Manure), Organic Manure, Copper Sulphate, Ferrous Sulphate, Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Phosphate Solubilising Bacteria, Potassium Mobilizing biofertilizers (KMB), Zinc Solubilizing Biofertilizers (ZSB), Acetobacter, Carrier Based Consortia (As per specification of FCO 1985) Notified via S.O. 2475 (E) dated 16.08.2013 FOR to KVSS/GSS in Rajasthan.
7. I/We have carefully studied the instructions, conditions of contract and other documents of this work and I/We agree to execute the work accordingly.

Date:

Place:

Signature of Bidder :

Name :

Designation :

Address :

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि., जयपुर

(Cover-B)

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

Tel : 0141-2740081

Fax : 0141-2740457

E-Mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

FINANICAL BID (BOQ)

FOR

Supply of

PROM (Phosphate Rich Organic Manure) Organic Potash 14.5%, Manganese Sulphate, Zinc Sulphate Monohydrate 33%, Zinc Sulphate Heptahydrate 21%, Mixed Micronutrients (Raj Grade), Mycorrhiza, Organic Manure, Copper Sulphate, Ferrous Sulphate, Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Phosphate Solubilising Bacteria, Potassium Mobilizing biofertilizers (KMB), Zinc Solubilizing Biofertilizers (ZSB), Acetobacter, Carrier Based Consortia (As per specification of FCO 1985) to KVSS/GSS in Rajasthan

Estimated Category/Item wise cost Rs. 10.31 Crore.

61/

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि., जयपुर

(Cover-B)

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

Tel : 0141-2740081

Fax : 0141-2740457

E-Mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

INDEX

S.No	Particulars	Page Number
1.	FINANICAL Bid (Item Wise)	1-2

G. /
महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि., जबपुर

राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि०,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

FINANCIAL BID/BOQ

वर्ष 2023-24 में राजफैड के माध्यम से राज्य की कृषि विक्रय सहकारी समितियाँ/ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सड माइक्रोन्यूट्रिएन्ट्स (राज ग्रेड-I,II), माइक्रोराईजा, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्फिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलिसिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स (केएमबी), जिंक सोलुबिलिसिंग बायोफर्टिलाइजर्स (जेडएसबी), एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया (As per specification of FCO 1985) की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु दर :-

दर रु. प्रति मै.टन

नाम	ऑफर की गयी मात्रा	पैकिंग (किग्रा)	बिलिंग दर (एफ.ओ. आर.) जीएसटी एवं अन्य सभी करो सहित (प्रति मै.टन में)	एमआरपी दर (एफ.ओ. आर.) जीएसटी एवं अन्य सभी करो सहित (प्रति मै.टन में)	जी.एस.टी की प्रचलित दर
(1) Manganese Sulphate					
(2) Zinc Sulphate Monohydrate 33%					
(3) Zinc Sulphate Heptahydrate 21%					
(4) Mixed Micronutrients (Raj Grade-I)					
(5) Mixed Micronutrients (Raj Grade-II)					
(6) Mycorrhiza					
(7) Organic Potash 14.5%					
(8) Prom (Phosphate Rich Organic Manure)					
(9) Organic Manure					
(10) Copper Sulphate					
(11) Ferrous Sulphate					
(12) Rhizobium					
(13) Azotobacter					

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी कृषि
विक्रय संघ लि., जयपुर

(14) Azospirillum					
(15) Phosphate Solubilising Bacteria					
(16) Potassium Mobilizing biofertilizers (KMB)					
(17) Zinc Solubilizing Biofertilizers (ZSB)					
(18) Acetobacter					
(19) Carrier Based Consortia					

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

6-
महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि., जयपुर